संस्वीकृति की प्रमुख वित्तीय शर्ते

(अन्य सामान्य / विशेष शर्तें आकलन के आधार पर अनुबंधित की जाएंगी)

क्रम संख्या	**संस्वीकृति की प्रमुख वित्तीय शर्ते**	
1	**प्रतिभूति**	पीएफ़सी ने निम्नलिखित प्रतिभूति संरचना निर्धारित की है। (i) राज्य/ केंद्र सरकार प्रतिभूति/बैंक प्रतिभूति/ परिसंपत्तियों पर प्रभार (ii) एस्क्रो एकाउंट/ साख-पत्र **नोट:- विशिष्ट मामलों में प्रतिभूति की संरचना, ऋणकर्ता की ऋण पात्रता को ध्यान में रखते हुये आशोधित की जा सकती है।** पीएफ़सी निजी क्षेत्र की संस्थाओं से निम्नलिखित अतिरिक्त **प्रतिभूतियां/** प्रसंविदाएं भी मांग सकता है : i) निगमित प्रतिभूति, ii) प्रोमोटरों की व्यक्तिगत गारंटी, iii) प्रोमोटरों के शेयरों की गिरवी, iv) समूह/ अन्य कंपनियों की परिसंपत्तियों पर प्रभार, v) निगम के पक्ष में सभी परियोजना संविदाओं, दस्तावेज़, बीमा पॉलिसियों के असाइनमेंट, vi) विश्वास एवं प्रतिनिर्धारण तंत्र को बनाए रखना ताकि परियोजना की सभी प्राप्तियों का उपयोग पीएफ़सी के अनुसार किया जा सके, vii) राजस्व पर प्रभार, viii) निगम को स्वीकार्य अन्य कोई प्रतिभूति। **नोट :- भिन्न-भिन्न चरणों में विभिन्न जोखिम उठाने के लिए अतिरिक्त प्रतिभूति की आवश्यकता का मूल्यांकन, आकलन के दौरान किया जाएगा।**
2 (a)	ब्याज	जब तक सावधि ऋण पूरी तरह से चुकाया नहीं जाता, कंपनी पीएफ़सी को प्रत्येक संवितरण की तारीख को लागू दर पर समय-समय पर बकाया सावधि ऋण की मूल राशि पर ब्याज

		का भुगतान करेगी।
2 (b)	भुगतान में देरी के मामलें में अतिरिक्त ब्याज (परिनिर्धारित नुकसानी)	यदि नियत तारीख तक ऋणकर्ता निगम को ब्याज या मूलधन का भुगतान नहीं करता तो इस स्थिति में ऋणकर्ता निगम को 2.0 % की दर से अतिरिक्त ब्याज चुकाएगा। इसके अतिरिक्त ब्याज दर, जिस पर ऋण को संवितरित / रीसेट किया गया है, त्रैमासिक आधार पर मिश्रित हो जाएगी । *(वर्तमान में कंसोर्शियम ऋण देने के मामले में, दर प्रत्येक मामले के आधार तय की गई है)
2 (c)	कर उगाही एवं शुल्क	ऋणकर्ता ऋण की अवधि के दौरान सरकार या अन्य प्राधिकरण द्वारा समय- समय लगाए गए अन्य प्रभार या कर एवं चुंगी, महसूल को वहन करेगा।
2 (d)	प्रतिभूति सृजित न करने पर अतिरिक्त ब्याज	यदि निर्धारित तारीख तक ऋणकर्ता संस्वीकृति की शर्तों के अनुसार सभी प्रतिभूतियों को सृजन करने में असफल रहता है तो ऐसे मामलों में निगम मोर्टगेज के सृजन के लिए दिये गए निर्धारित समय के की समाप्ति की तारीख से वर्तमान दर पर (वर्तमान में 1 % प्रति वर्ष) बकाए ऋण पर अतिरिक्त ब्याज प्रभारित करेगा। हालांकि अतिरिक्त ब्याज, ऋण के लिए सृजित पर्याप्त प्रतिभूति होने की दशा में प्रभारित नहीं किया जाएगा। पर्याप्त प्रतिभूति की ब्याख्या इस प्रकार है : • 80 % जमीन की मोर्टगेज जिसमें मुख्य प्लांट लैंड एवं • संस्वीकृति शर्तों के अनुसार सभी अन्य प्रतिभूतियों का सृजन शामिल है। यदि ऋण की तुलना में संवितरण, ऋण की राशि के 75 % से अधिक बढ़ता है एवं संस्वीकृति की शर्तों के अनुसार संपूर्ण प्रतिभूति तब तक सृजित न की गई हो तो ऋण पर संवितरण के 75 % की सीमा से आगे बढ़ने की तारीख से बकाया राशि पर अतिरिक्त ब्याज प्रभारित किया जाएगा।
3	ब्याज पुनर्निर्धारण	निगम के पास प्रथम संवितरण की तारीख से अपने विवेकानुसार, ऋण को हर दसवें/ तीसरे वर्ष में (जैसा भी लागू हो) पुनर्निर्धारित करने का अधिकार होगा। ब्याज पुनर्निर्धारण, यदि निगम में प्रयुक्त हो तो दसवें/ तीसरे वर्ष(जैसा भी लागू

<table>
<tr><td></td><td></td><td>हो) के तुरंत बाद मानक नियत तारीख से लागू होगा। ऋणकर्ता करार ज्ञापन को निष्पादित करने के समय पुनर्निर्धारण की अवधि के संबंध में विकल्प प्रस्तुत करेगा। यदि पुनर्निर्धारण के उद्देश्य हेतु, पुनर्निर्धारण के लिए प्रस्तावित संवितरणों की ब्याज दर, समान श्रेणी के ऋण के लिए पुनर्निर्धारण अवधि के अंत में वर्तमान दरों पर ऋण दर होंगी।</td></tr>
<tr><td>4</td><td>आहरण की अंतिम तारीख</td><td>जब तक पीएफ़सी अन्यथा सहमत नहीं होता करार पर हस्ताक्षर करते समय लिए गए निर्णय के अनुसार कंपनी का सावधि ऋण से आहरण करने का अधिकार आहरण की अंतिम तारीख को समाप्त हो जाएगा ।</td></tr>
<tr><td>5</td><td>पुनर्भुगतान</td><td>किसी परियोजना की पुनर्भुगतान अवधि समय-समय पर कंपनी की नीति के अनुसार विनियमित की जाती है। पुनर्भुगतान अवधि को ऋणकर्ता की साख एवं ऋण वापस करने की अवधि को ध्यान में रखते हुए संस्वीकृति पत्र में निर्धारित एवं निर्दिष्ट किया जाएगा। परियोजनाओं की विभिन्न श्रेणियों के लिए अधिकतम सीमा नीचे दी गई हैं :
<table>
<tr><th>क्रम</th><th>परियोजनाओं के प्रकार/ स्कीमें</th><th>अधिकतम पुनर्भुगतान अवधि (वर्ष)</th></tr>
<tr><td>1</td><td>जल-विद्युत उत्पादन स्कीम</td><td>20</td></tr>
<tr><td>2</td><td>मीटरिंग, अध्ययन, परामर्श, प्रशिक्षण, आर एंड डी, सर्वेक्षण एवं कम्प्यूटरीकरण स्कीमें ।</td><td>5</td></tr>
<tr><td>3</td><td>ताप-विद्युत उत्पादन सहित सभी योजनाएं/परियोजनाएं, उपर्युक्त (1) और (2) के अतिरिक्त</td><td>15</td></tr>
</table>
परियोजना की पुनर्भुगतान अवधि आकलन अथवा प्रत्येक मामले की मेरिट के के आधार पर ऊपर वर्णित सीमा से अधिक बढ़ायी जा सकती है बशर्ते उस परियोजना ऋण की पुनर्भुगतान अवधि परियोजना के आर्थिक काल से 80% से अधिक ना हो।</td></tr>
</table>

		ऊपर दी गई अवधि सर्वोच्च एवं आकलन पर आधारित है। पीएफ़सी परियोजना के उपयोगी जीवन एवं अन्य परियोजना मापदंडों पर निर्भर रहते हुए निम्नतर अवधि प्रदान कर सकता है ।
6	ऋण का समय पूर्व भुगतान	ऋणकर्ता, ऋण की बकाया मूल राशि का समय पूर्व भुगतान निगम से पूर्वलिखित अनुमोदन के बाद ही कर सकेगा करेगा । अनुमोदन निगम के विवेकानुसार होगा। पूर्वभुगतान हेतु अनुमोदन समय पूर्व भुगतान प्रीमियम सहित ऐसी परिस्थितियों में दिया जा सकेगा जिन्हें निगम उचित समझे ।